

## **भारत में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में कुछ चिंताएँ और चुनौतियाँ**

**डॉ० पवन कुमार  
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान  
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय  
हनुमानगढ़ (राज.)**

परिणाम केवल बढ़े हुए उत्पादन में होता है, तो यह सभ्यताओं के भीतर और सभी के बीच असंतुलन और असमानताओं को बनाए रखने और बिगड़ने की प्रवृत्ति रखता है। विकास एक एकीकृत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शामिल हों जो किसी के रहने की स्थिति पर आत्म-नियंत्रण की ओर ले जाते हैं। इस संदर्भ में यह सशक्तिकरण की अवधारणा है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अनुसार सांप्रदायिक चिंतन और निर्णय लेने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्तिकरण के मानदंड इस प्रकार हैं:

- १ एक सकारात्मक आत्म-छवि और आत्म-विश्वास का निर्माण करना।
- २ गंभीर रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना।
- ३ समूह सामंजस्य बनाना और निर्णय लेने को बढ़ावा देना।
- ४ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सभी साधन उपलब्ध कराना।
- ५ सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ६ समूह कार्रवाई को प्रोत्साहित करना (महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988)।

पिछले छह दशकों के नियोजित विकास में, महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना परिव्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है। रुपये का खर्च। पहली योजना (1951–1956) में 4 करोड़ रुपये नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7,810.42 करोड़ रुपये और दसवीं पंचवर्षीय योजना में 13,780 करोड़ रुपये हो गए हैं। बाद की पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में “कल्याण” केंद्रित रणनीति से महिलाओं के “विकास” और “सशक्तीकरण” में परिवर्तन हुआ है। स्वयंसेवी क्षेत्र के माध्यम से, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (ई) ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए। महिलाओं के कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों और सामुदायिक विकास खंडों के माध्यम से किया जाता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९६५६–१९६६९) – कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर “महिला मंडल” (महिला समूह) आयोजित करने के प्रयास किए गए। तीसरी, चौथी, पांचवीं और अन्य अंतरिम योजनाओं (1961–1974) ने महिलाओं की शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण मूल्य रखा। बेहतर मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ बच्चों, नर्सिंग माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए पूरक आहार भी लागू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर त्रि–आयामी ध्यान देने के साथ एक बहु–विषयक दृष्टिकोण अपनाया। महिलाओं के लिए विकासात्मक कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) में जारी रहे, जिसका लक्ष्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाना था। महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाले “लाभार्थी–उन्मुख कार्यक्रमों” की पहचान और प्रचार एक महत्वपूर्ण कदम आगे था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997) ने “विकास” से “सशक्तिकरण” में परिवर्तन को चिह्नित किया। सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक के लिए विशेष कार्यक्रम स्थापित किए गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के तीन प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ के प्रवाह पर करीब से नजर रखी जा रही है। स्थानीय निकायों की सदस्यता में आरक्षण के साथ, महिलाएं विकास प्रक्रिया में समान भागीदार और प्रतिभागियों के रूप में काम करने में सक्षम थीं। महिलाओं के लिए आठवीं योजना के दौरान की गई प्रमुख पहलों में महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, साथ ही गरीबों और संपत्ति की सळम ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना शामिल थी—कम महिलाएं। अन्य पहलों में लोगों के लिए पर्याप्त पोषण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसार राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाना, महिलाओं के बीच मितव्ययी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ और इंदिरा महिला योजना का शुभारंभ शामिल था। मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने का इरादा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और विकास के एजेंट के रूप में सशक्त बनाने की कल्पना की गई थी। लोगों की सहभागी संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया गया और विकसित किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) को महिलाओं की सूचना, संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ–साथ लैंगिक समानता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) ने लैंगिक समानता

और समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का इरादा जेंडर बजट और जेंडर को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को एक साथ नियोजित करना है।

परिणामस्वरूप, हम देख सकते हैं कि महिलाओं के संबंध में पहल या नीतिगत निर्णयों की कोई कमी नहीं है। हालाँकि, वास्तविकता बहुत अलग है, और हमें अभी भी वास्तविक महिला सशक्तिकरण देखना है, और महिलाओं को पिरूसत्ता के भार का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रतिबंध भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, सामाजिक मानदंड और पारिवारिक संरचना महिलाओं की अधीनता को दर्शाती है और बनाए रखती है। मानकों में से एक बालिका के जन्म पर बेटे के जन्म को प्राथमिकता देना है, जो व्यावहारिक रूप से सभी देशों और समुदायों में आम है। शिक्षा, पोषण और अन्य अवसरों के मामले में, समाज पुरुष बच्चों का पक्षाधर है। यह धारणा कि मेघालय को छोड़कर, भारत में पुरुष बच्चों को वंश विरासत में मिला है, इस प्रकार की मानसिकता का प्राथमिक कारण है। महिलाएं अवसर अपनी भूमिका को एक प्राकृतिक के रूप में पुराने दृष्टिकोण को अपनाती हैं, जिससे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। भारत में अधिकांश महिलाओं के लिए गरीबी एक वास्तविकता है। यह सिर्फ एक और पहलू है जो महिला सशक्तिकरण का कठिन बना देता है (शेष्टार, 2015)। महिलाओं के "सशक्तिकरण" की अवधारणा 1975 के बाद के महिला आंदोलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। नीति दस्तावेजों के साथ-साथ महिला कार्यकर्ताओं और महिलाओं के अध्ययन में इसके व्यापक उपयोग के बावजूद, इसके अर्थ और व्याख्या के बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है। शब्द की परिभाषा है 'किसी व्यक्ति द्वारा समूह को शक्ति हस्तांतरित करने के लिए उन्हें कुछ शारीरिक या मानसिक क्रिया को निष्पादित करने की क्षमता देने के लिए, अधिकार सौंपने के लिए, कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए।' इस परिभाषा में सक्षम सूक्ष्मताओं, स्पंदन ऊर्जा, और "सशक्तिकरण" शब्द में निहित विशेषताओं का अभाव प्रतीत होता है क्योंकि यह वर्तमान महिला आंदोलन में कार्यरत है। इसी तरह, परिभाषा प्रचलित लिंग असमानताओं की कठोर गंभीरता, महिलाओं की शक्तिहीनता, और जमीनी स्तर की महिलाओं पर विरासत में मिली सामाजिक व्यवस्था के भारी बोझ को प्रतिबिंబित करने में विफल रहती है, जिसे महिला आंदोलन "सशक्तिकरण" के रूप में संदर्भित करता है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी, बहुआयामी और बहुस्तरीय शब्द है जिसे एक सनसनी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को प्रज्वलित करता है। पहला महत्वपूर्ण प्रयास, दूवर्ड्स इकवलिटी (1974) का उद्देश्य न केवल महिलाओं की स्थिति के कई क्षेत्रों पर डेटा का अध्ययन और मूल्यांकन करना है, बल्कि नियोजित विकास के परिणामस्वरूप महिलाओं की भूमिकाओं, अधिकारों और अवसरों में भी बदलाव है। यह निष्कर्ष निकालता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया, जो हमारे समाज के लक्षणों और विकास योजनाओं के विपरीत दिशा में आगे बढ़ी, ने कई प्रयासों को जन्म दिया।

भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, सशक्तिकरण को मजबूरी में लाचारी की स्थिति से किसी एक अधिकार में संक्रमण के रूप में परिभाषित किया गया है। सशक्तिकरण की संभावना दो कारकों पर निर्भर है: सत्ता बदल सकती है और शक्ति का विस्तार हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के तीन सबसे महत्वपूर्ण मार्कर हैं वित्तीय, बच्चों से संबंधित, और सामाजिक निर्णय लेने, संसाधनों तक पहुंच या नियंत्रण, और आंदोलन की स्वतंत्रता। विभिन्न कारणों से विकास बाधित होता है। यह पेपर तीन प्रमुख छेद पर केंद्रित है। बालिकाओं, लिंग हिंसा और वैश्वीकरण पर कई दृष्टिकोण हैं।

## बालिका के प्रति दृष्टिकोण

किसी भी समुदाय में महिलाओं की स्थिति उसके विकास और उन्नति का पैमाना होती है। भारतीय समाज में लड़कियों के जन्म की आशंका इसलिए की जाती है क्योंकि लड़कों की पूजा की जाती है। उसे कम समय के लिए स्तनपान कराया जाता है और अपने भाई-बहनों की देखभाल के लिए वह स्कूल नहीं जाती है। समय से पहले विवाह, समय से पहले गर्भधारण, और परिचर खतरे प्रतिकूलता और नुकसान के चक्र को बढ़ा देते हैं। बालिकाओं को मुख्यधारा की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। आज हमने सीखा है कि महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए हमें आज की बालिकाओं की ओर देखना चाहिए, जो भविष्य की महिला होंगी। जब हम न केवल भूमिकाओं को प्राप्त करने में, बल्कि मानवीय गरिमा की चिंता के साथ सक्रिय उत्पादक पदों पर भी अच्छे आत्मसम्मान के साथ एक महिला बच्चे की कल्पना करते हैं, तो हम एक मजबूत और सशक्त महिला का उत्पादन करेंगे। अंतिम लक्ष्य एक ऐसी महिला बच्चे का उत्पादन करना है जो सक्रिय, स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो, सामाजिक-सांस्कृतिक पैटर्न और पारंपरिक भूमिकाओं से मुक्त हो, और जिसकी शिक्षा, सूचना और अवसरों तक समान पहुंच हो। एक भारतीय संस्कृति में जो पुरुषों को मूर्तिमान करती है और एक लड़की के जन्म से डरती है, पैदाइशी होना मानव से कम पैदा होने की सीमा है। लड़कियों के साथ भेदभाव उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। हमारे आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कन्या भूलणों का गर्भपात बढ़ रहा है। महिला-पुरुष अनुपात घट रहा है। बीमार बच्चियों का इलाज कराने में आनाकानी हो रही है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम समय के लिए स्तनपान कराया जाता है, और लड़कियों को अपने

छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए आसानी से स्कूल से छूट दी जा सकती है। आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद, किसी भी स्तर पर महिला बच्चे की स्थिति कभी भी पुरुष बच्चे के बराबर नहीं रही है (पांडे, 2010)।

घर और समाज में समग्र रूप से कनेक्शन की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से लिंग भूमिकाएं बनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और अभ्यास की जाती हैं। कहने की जरूरत नहीं है, मीडिया समान लिंग रुढ़ियों को प्रोत्साहित करता है। किशोरी का आत्म-सम्मान कम हो जाता है। वह इस विचार के साथ बड़ी होती है कि वह अपने जैविक घर की केवल एक अस्थायी सदस्य है, जिसे सामान और दहेज के साथ निपटाया जाना है। एक पारंपरिक कहावत इसे इस प्रकार सारांशित करती है: एक बेटी धी (स्पष्ट मक्खन) की तरह होती है – दोनों एक बिंदु पर अच्छे होते हैं। यदि आप उनसे छुटकारा नहीं पाते हैं, तो वे बदबू मारते हैं। उसका उत्पादक कर्तव्य घरेलू कठिन परिश्रम को जारी रखना है, जिसमें सबसे ऊपर उसकी प्रजनन भूमिका है।

एक प्रजनन मशीन के रूप में भी, एक महिला का जीवन केवल तभी मूल्यवान होता है जब वह एक पुत्र को जन्म दे। इस प्रकार, “एक महिला का जन्म इसे कहीं और अनुदान देता है, यहां हमें एक पुत्र प्रदान करता है,” परंपरा और शास्त्र लड़की के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षणों के रूप में, जिसके परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या हुई है, परिष्कृत चिकित्सा तकनीक अब महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों को मजबूत कर रही है। शिक्षा, दुनिया भर में एक्सपोजर, और आय, जो सभी मूल्यवान प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच में अनुवाद करते हैं, ने बच्चे के लिंग को चुनना आसान बना दिया है। यदि कोई विकल्प है, तो हमेशा नर बच्चे को चुना जाता है। सख्त कानून के बावजूद डॉक्टर और मरीज इससे निजात पा रहे हैं। परिणामस्वरूप, महिला अनुपात में कमी आई है (तालिका 1)। कुछ दशक पहले, डॉक्टरों ने पुरुष उत्तराधिकारियों के लिए लिंग चयन परीक्षणों का स्वतंत्र रूप से विज्ञापन दिया। पॉश कोलाबा में मालपानी विलनिक के डॉ अनिरुद्ध मालपानी इनफर्टिलिटी थेरेपी में शामिल हो गए। उसकी वेबसाइट ने पेशकश की कि किसी के लिंग का चयन कैसे किया जाता है।

#### **तालिका 1. पुरुष–महिला लिंग अनुपात**

**स्रोत:** जनगणना, भारत सरकार

साल	महिलाएं ॥ 1000 पुरुष
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	933
1991	945
2001	927
2011	914

अपने बच्चे का, दुनिया के कुछ ही लोगों में से एक होने का दावा करता है जो एक बेटा सुनिश्चित करने के लिए भ्रुण का चयन करता है। मालपानी वर्तमान में लिंग चयन के लिए फिश जैसी प्री-इम्प्लांटेशन डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने के लिए आपराधिक आरोपा का सामना कर रहा है। डॉ. अनिरुद्ध इसका समर्थन करते हुए दावा करते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, और सवाल करते हैं कि कितने लोग प्री-इम्प्लांटेशन पद्धति का खर्च उठा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल अभीर ही इतनी महंगी परीक्षा का खर्च उठा सकते हैं (इंडिया टुडे, 2003) .

1994 में, प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह 2003 में प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम के रूप में कानून बन गया। यह अधिनियम गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है। यह आनुवंशिक दोषों या अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड जैसी प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं के उपयोग को नियन्त्रित करता है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं करता है। कोई भी नर्सिंग होम, योग्य चिकित्सक, या अस्पताल जो अल्ट्रा साउंड टेस्ट करता है, उसे यह बताना होगा कि वे लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। राज्य चिकित्सा परिषद के पास कानून का उल्लंघन करने पर डॉक्टर के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार है। जो कोई भी लिंग चयन चाहता है, उसे अधिनियम के तहत तीन साल की जेल की सजा (पहली बार दोषी ठहराए जाने पर) और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ लड़ाई का केवल एक पहलू कानूनों का प्रवर्तन है। हालाँकि, भारत में, कागज पर कानून और उसके लागू होने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, और हर नियम को दरकिनार करने के सैकड़ों तरीके हैं। इस बीच, एक वैचारिक समाज में, लड़का पैदा होने पर लड़की को इंसान से कम पैदा होना पड़ता है। पुत्र का जन्म पूरे भारत में पीतल की थाली (थाली) की थाप और मिठाई और पैसे देने के साथ विजयी रूप से मनाया जाता है, जबकि एक लड़की के जन्म का स्वागत शोक नहीं तो शांत और उदासी के साथ किया जाता है। उत्तर भारत में दहेज काफी अधिक है, और दहेज हत्याएं अधिक आम हैं। कई राज्यों में, बेटी की शादी करने से माता-पिता गरीब हो सकते हैं।

बालिका को शून्य में नहीं देखा जा सकता। उनकी स्थिति सामान्य रूप से महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। महिलाओं में कुपोषण, बीमारी, विकलांगता और विकास मंद होने का खतरा अधिक होता है। उनके पास संसाधनों तक पहुंच या नियंत्रण नहीं है। उनका काम किसी का ध्यान नहीं है और इसलिए अनुचित है। हमारी संस्कृति, मीडिया, शिक्षा और समाजीकरण प्रक्रियाएं सभी अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करने का काम करती हैं। भारत भर में स्थानीय भाषाओं में कुछ कहावतों और कहावतों पर एक नजर इन दृष्टिकोणों को समेटे हुए है। “एक बेटी का पालन-पोषण करना किसी और के आंगन में एक पौधे को रींचने जैसा है,” एक आम आध तेलुगु कहावत कहती है। एक और कहता है, ‘‘यदि आप झूठ बोलते हैं, तो आपके पास एक कन्या होगी।’’ एक और कहता है, ‘‘जंगल में पेड़ के रूप में पैदा होना मादा से बेहतर ह।’’ “एक बेटी की शादी करने की तुलना में एक अश्वमेध यज्ञ (अतीत में राजाओं द्वारा किया गया एक घोड़ा बलिदान) करना आसान है।’’ सांस्कृतिक सन्दर्भ के फलस्वरूप नारी की स्वयं की छवि और उसके प्रति समाज का नजरिया दोनों ही प्रतिकूल है। राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में उनका कोई मूल्य नहीं है। इस सामाजिक परिवेश में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी भी अन्य महिला की तरह बालिका का कोई मूल्य नहीं है और उसकी नौकरी अनदेखी और अनुचित है (पांडे, 2004)।

समय से पहले शादी, समय से पहले गर्भधारण और उनके साथ आने वाले जोखिमों से प्रतिकूलता और नुकसान का चक्र तैज हो जाता है। आंध के कुछ क्षेत्रों में देवदासी, जोगिन और बसवी के रूप में लड़कियों की प्रतिबद्धता मानवाधिकारों का जघन्य उल्लंघन है क्योंकि यह युवा और निर्दोष लड़कियों को धर्म के नाम पर यौन उत्पीड़न के लिए उजागर करती है। युवक जोगिन शादी नहीं करता और गांव की आम संपत्ति बन जाता है, साथ ही यौन शोषण का भी निशाना बन जाता है। हाल ही में जिलेवार सर्वेक्षण के अनुसार, आंध प्रदेश में 16,287 देवदासियां, जोगिन और बसवी हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

बालिकाओं को समाज के सभी संसाधनों तक समान पहुंच का अधिकार है। इस अधिकार से नियमित रूप से इनकार किया जाता है। जन्म से शुरू होने वाले भेदभाव का असमानता पर संचयी प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप निराशा और शक्तिहीनता होती है। बालिका को प्रक्रिया की आरंभकर्ता होना चाहिए। जब तक लड़की समानता की अवधारणा और अनुभव को आत्मसात नहीं करती है, वह एक वयस्क के रूप में लैंगिक असमानता को सहन नहीं कर सकती है, यदि उसे कायम नहीं रखती है। फिलहाल, बच्ची को अपनी पहचान विकसित करने के अवसर से वंचित रखा गया है। व्यक्तित्व का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे लड़कियों

तक बढ़ाया जाना चाहिए। गरिमा, स्वारथ्य और शिक्षा के उसके अधिकार भी उसके परिवार या समाज द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थित नहीं हैं। इस मोच पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता है, और ऐसा करने वालों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह इस तथ्य के कारण है कि लड़कियों को घरेलू और बाल देखभाल कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जबकि उनके माता-पिता काम पर होते हैं। लगभग 80: लड़कियां कक्षा ८ से ट तक छोड़ देती हैं। कक्षा 1 में दाखिला लेने वाली 100 लड़कियों में से केवल 42 ही कक्षा ८ में आगे बढ़ती हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों में, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों में से कई, 100 में से केवल 19 लड़कियां पाचवीं कक्षा में प्रवेश करती हैं। इनमें से कई महिलाएं असंगठित क्षेत्रों जैसे बीड़ी, अगरबत्ती और परिधान निर्माण में काम करती हैं, कुछ का नाम लेने के लिए। असंगठित कर्मचारियों को दो विशेषताओं से अलग किया जाता है: एक, महिलाओं और बालिकाओं की उनकी प्रधानता, और दूसरी, उनकी ज्यादातर घर-आधारित प्रकृति। असंगठित क्षेत्र श्रम के लिंग विभाजन का उदाहरण है क्योंकि ज्यादातर काम महिलाओं और लड़कियों द्वारा घर पर किया जाता है, जैसे बीड़ी बनाना, चूड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना और परिधान निर्माण, जबकि लड़के इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके बावजूद, अधिकांश बालिकाओं की नौकरी अदृश्य है (पांडे, 2008)।

## लिंग हिंसा

लैंगिक हिंसा एक अन्य प्रमुख मुद्दा है जो विकास और सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लैंगिक हिंसा का तात्पर्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा से है। जब हम हिंसा को एक विकासात्मक और मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में देखेंगे तभी हम इस मुद्दे को उसकी संपूर्णता में देख पाएंगे। हिंसा की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कीमत होती है और यह कोई निजी मामला नहीं है। लैंगिक हिंसा इस थीसिस में निहित है कि घरेलू हिंसा का स्रोत एक व्यक्ति का दूसरे पर अधिकार, पारस्परिक संपर्क, या पारस्परिक संबंधों में मनमाने ढंग से विश्वास है, और इसे सत्ता संबंधों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पदार्थ में रखा गया है (केलकर, 1991)। भारतीय घरों में अधिकांश कामकाजी वर्ग की महिलाएं अपने जीवन में वास्तविकता के तुच्छीकरण को सहती हैं, भले ही वे हिंसा का सामना करती हों। मध्यम वर्ग की महिलाएं घरेलू हिंसा की सेंसरशिप के एक अलग रूप को सहती हैं। कई मध्यवर्गीय महिलाओं के जीवन में मौजूद सार्वजनिक-निजी अंतर उन्हें अपने अपमान और हिंसा के बारे में बोलने से रोकता है। तुच्छीकरण और चुप्पी दोनों राजनीतिक गतिविधियां हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न की व्यवस्था को मजबूत करती हैं (पांडे एट अल। 2008)। जो लड़कियां घरेलू दुर्व्यवहार को देखती हैं, उनमें वयस्कों के रूप में हिंसक भागीदारों को सहने की अधिक संभावना होती है, जो अगली बीड़ी को उसी दुखद गतिशीलता के लिए उजागर करती है। पारंपरिक समाजीकरण या सीखी हुई लाचारी का उपयोग पत्नी की सहनशीलता को समझाने के लिए किया जाता है (एग्नेस, 1980य आहूजा, 1987 और महाजन, 1990)। महिलाएं आमतौर पर रिश्तों में शांति बनाने वाली होती हैं, जो शादी के काम की प्रभारी होती हैं। हाल के वर्षों में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक यौन शोषण के उद्देश्य से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की बढ़ती संख्या रही है। आज की दुनिया में नौकरी, घरेलू सेवा, फिल्मी भूमिकाओं या शादी के लिए सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। आज, मानव तस्करी हथियारों या नशीले पदार्थों के संयुक्त व्यापार से अधिक पैसा कमाती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन के सबसे जघन्य रूपों में से एक व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी है। कम आय वाले परिवारों की किशोरियां विशेष रूप से कमजोर होती हैं। हमारी लड़कियां हमारी दौलत हैं, और वे भविष्य की महिलाएं हैं जिन्हें पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। नतीजतन, हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए जिसके बह हकदार हैं। महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का लोगों और इसमें शामिल समाज दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें लिंग और दुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन दोनों शामिल हैं। मानव जाति के अंदरे क्षेत्र में आपराधिक प्रवर्तन मुद्दों को शामिल करते हुए यह मुद्दा परिष्कृत, गहरा, कुटिल, भ्रष्ट और विविध है। यह आपराधिकता का सबसे जघन्य रूप है क्योंकि इसमें लोगों को वस्तुओं के रूप में उपयोग करना शामिल है जो अवैध व्यापार करने वाले, व्यक्ति को बेचने वाले और वश्यावृत्ति से लाभ के लिए उसे खरीदने वाले दोनों के लिए लाभ उत्पन्न करते हैं। इस रोजगार की प्रकृति के कारण, ऐसे लोगों के नेटवर्क हैं जो एक अकेली महिला या लड़की के यौन शोषण से जीवन यापन करते हैं। अवैध व्यापार कई स्तरों पर होता है, जिसमें स्थानीय, अंतर-जिला, अंतर्राज्यीय और सीमा पार शामिल हैं। अनुमान है कि कम से कम 8 मिलियन महिलाएं और बच्चे वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। उनमें से लगभग एक बौथाई, या लगभग 2 मिलियन युवा हैं। अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि न केवल बाल तस्करी बढ़ रही है, बल्कि जिस उम्र में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वह भी तेजी से गिर रहा है। आज, मानव तस्करी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को महिलाओं के एजेंडे पर सबसे अधिक दबाव वाली समस्या के रूप में पार कर लिया है (पांडे, 2016)।

## वैश्वीकरण और महिलाएं

अधिकांश विकासशील—विश्व अर्थव्यवस्थाएं एक अंतर्राष्ट्रीय और राज्य—नीति शासन से मुक्त बाजारों और उदारीकरण की ओर उन्मुख एक बाहरी दिखने वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया में हैं। 1991 में ऋण संकट के बाद, भारत ने आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा समर्थित संरचनात्मक समायोजन नीति के एक अनिवार्य घटक के रूप में नई आर्थिक नीति को लागू किया। यह आशा की गई थी कि ऐसा करने से, भारत अपने विदेशी मुद्रा घाटे को हल करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने और अपने भुगतान संतुलन को मजबूत करने में सक्षम होगा। विश्व बैंक ने लोगों को संकट से उबारने में मदद के लिए बड़े कर्ज दिए। इस पैकेज में व्यापार और व्यापार का वैश्वीकरण शामिल था। हालांकि ये सुधार मुख्य रूप से औद्योगिक, वित्तीय, वित्तीय और बाहरी क्षेत्रों पर केंद्रित थे, यह अनुमान लगाया गया था कि बाजार—निर्धारित विनियम दर प्रणाली, कम उद्योग संरक्षण, और कृषि निर्यात प्रतिबंधों को समाप्त करने से कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। यह भी अनुमान लगाया गया था कि नया बहुपक्षीय व्यापार ढांचा भारत को वैश्विक कृषि और कृषि—आधारित उत्पाद निर्यात में अपने हिस्से को बढ़ावा देने की अनुमति देगा।

वैश्विक व्यवस्था में गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा का परेशान करने वाला सवाल उठता है, जो बढ़ती आय असमानताओं, आर्थिक विकास असमानताओं, मानव पूंजी असमानताओं (जीवन प्रत्याशा, पोषण, शिशु और बाल मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता, नामांकन अनुपात, आदि) द्वारा चिह्नित है। ) वैश्विक आर्थिक संसाधनों और अवसरों के वितरण में असमानता। व्यापार, सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विकासशील देशों में बाजारों, संसाधनों और श्रम पर अमीर देशों, बहुराष्ट्रीय फर्मों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के प्रभुत्व ने राष्ट्र राज्यों और सरकारों की मानव विकास को बढ़ावा देने और गरीबों की रक्षा करने की शक्ति को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है। यदि वैश्विक अवसर असमान रूप से वितरित रहते हैं, तो सबसे अधिक दबाव वाले मुद्रे, गरीबी के परिणाम राष्ट्रीय सीमाओं (यूएनडीपी, 1995) में तेजी से फेलेंगे। वैश्वीकरण को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि के साथ आर्थिक सीमाओं को धीरे—धीरे हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है (डोलन, 1993)। वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों, न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, और वाणिज्यिक बाजारों के उद्घाटन के साथ—साथ वैश्विक संचार गांव और दुनिया के समान और छोटे होते जा रहे हैं। महिलाओं के मामले में, इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, इसका एक बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, जो स्पष्ट रूप से महिलाओं के विकास की ओर ले जाएगा, लेकिन भारत में कई आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं है।

वैश्वीकरण विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। इनमें कंपनियों के बीच उत्पादन और अनुसंधान सहयोग में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का बढ़ा हुआ उपयोग, स्थानीय कारकों का लाभ लेने के लिए उत्पादन गतिविधियों का स्थानिक वितरण, लागत लाभ, और नए बाजारों तक पहुंच हासिल करना, इंट्रा-फर्म व्यापार और अर्ध-समाप्त व्यापार में वृद्धि शामिल है। भागों, विलय और अधिग्रहण में वृद्धि, और विशेषज्ञता के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों के उपयोग में वृद्धि (गिब्सन, 1994)। चूंकि महिलाएं उपमहाद्वीप की आधी से अधिक आबादी बनाती हैं, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव के संदर्भ में वैश्वीकरण की जांच करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसे दृष्टिकोण से जो महिलाओं की मांगों और वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील है। विश्लेषण और विकास योजना में लिंग को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। लिंग पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक संबंधों में शक्ति की अभिव्यक्ति है। एक शक्ति संबंध के रूप में जेंडर संस्थागत व्यवस्थाओं से उपजा है जो किसी दिए गए सामाजिक समूह में पुरुषों को उस सामाजिक समूह की महिलाओं की तुलना में अपने रखयं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए संस्थागत नियमों और संसाधनों को जुटाने में सक्षम बनाता है (कवीर, 1994)। जेंडर विश्लेषण का उद्देश्य अनिवार्य और सार्वभौमिक धारणा का मुकाबला करना है कि “जीव विज्ञान नियति है” (स्टोलके, 1993)। महिलाएं हर प्रकार की गतिविधि में अंतिम उत्पाद के मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, चाहे वह कृषि हो या संबद्ध गतिविधियाँ, पशु पालन, मछली पकड़ना, बुनाई या परिधान बनाना, और फिर भी उनके काम को माध्यमिक, अकुशल और अवसर माना जाता है। केवल घरेलू मूल्य के कौशल के रूप में। ये महिलाएं श्रम का दोहरा भार वहन करती हैं और शोषण की शिकार होती हैं। हालांकि जाति, वर्ग या आर्थिक गतिविधि के मामले में एक सजातीय समूह नहीं है, इस क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को अभाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोजगार के अवसरों की कमी, कम और भेदभावपूर्ण वेतन, और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो आकस्मिकता की ओर ले जाते हैं। उनके पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, वे कार्यस्थल पर स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में हैं, और आधुनिक तकनीक, कौशल और ज्ञान तक उनको पहुंच नहीं है (श्रमशक्ति, 1988)।

वैश्वीकरण ने अमीरों और वंचितों के बीच की खाई को चौड़ा किया है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया, उच्च पूंजी तीव्रता से जुड़े कृषि में तकनीकी परिवर्तन पर जोर देने के साथ, उत्पादन और कटाई के बाद के कार्यों के अधिक मशीनीकरण, और विभिन्न विशेषताओं के साथ फसल और पशुधन के विकास के साथ वाणिज्यिक वर्स्तु की आवश्यकताओं के लिए तैयार है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ आया है। इसमें सूचना, कौशल और उत्पादन में योगदान का नुकसान शामिल है। जिगिंग (1986) औपचारिक परिभाषित करता है

व्यावसायीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप महिलाओं के प्रथागत भूमि अधिकारों को नष्ट किया जा रहा है। भूमि सुधार परियोजनाओं के साथ-साथ सांप्रदायिक भूमि जोत के विखंडन की प्रवृत्ति, विशेष रूप से आदिवासी और प्रथागत कार्यकाल की धारणाओं के परिणामस्वरूप पुरुषों को परिवारों के मुखिया के रूप में विशेष भूमि अधिकार हस्तांतरित किया गया है। भूमि पुनर्वितरण के आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले 'परिवार के मुखिया' के विचार ने ऐतिहासिक रूप से महिला प्रधान परिवारों की उपस्थिति और भूमि में साझा हिस्सेदारी के लिए विवाहित महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा की है। आम रिपोर्ट संसाधनों में पारिस्थितिक कमी और बल के परिणामस्वरूप जो कुछ बचा है, उसकी पहुंच में गिरावट के परिणामस्वरूप महिलाएं कठिन परिश्रम करती हैं और कृषि प्रणाली और फार्म हाउस के रखरखाव और प्रबंधन में अपने कई कार्यों को पूरा करने में कम सक्षम हैं। निजीकरण का। नतीजतन, एक ओर भूमि, श्रम पूँजी, सेवाओं और सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच और दूसरी ओर उत्पादन मांगों के बीच असमानता बढ़ रही है। वैश्वीकरण विमर्श वास्तव में विश्वव्यापी संस्कृति विकसित करने के लिए सूचना और कौशल के वैशिक प्रवाह के माध्यम से पिछड़ेपन को खत्म करने का बादा करता है। इस प्रणाली के तहत, एक अंतर्निहित धारणा है कि पारस्परिक सहयोग और सामाजिक न्याय के लिए चिंता स्वाभाविक रूप से ध्यान दी जाती है। व्यवहार में, हालांकि, क्योंकि वैशिक व्यवस्था असमान शक्ति संबंधों पर आधारित है, इन चिंताओं को रोक दिया गया है। कमजोर राष्ट्रों और उनमें से कमजोरों का यहूदी बस्तीकरण वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण व्यापार विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रतीत होता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा और बाजार पहुंच है। ज्ञान, कौशल, जिम्मेदारियों और चिंताओं के साथ-साथ संसाधनों पर नियंत्रण में मौजूदा असमानताओं के कारण, महिलाएं और पुरुष वैशिक प्रक्रिया से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। कई उद्योगों में महिलाओं के पास लिंग और वर्ग असमानताओं के बोझ का सामना करने के अलावा बहुत कम विकल्प होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आगे हाशिए पर और कंगाली होती है।

इन विकासोन्मुख नीतियों ने पारस्परिक व्यवसायों पर महिलाओं के अधिकार को समाप्त कर दिया है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित कर दिया है। कल्याण से आर्थिक विकास में परिवर्तन से महिलाओं को सबसे अधिक चोट लगी है, क्योंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा काम करता है। वैश्वीकरण ने केवल लैंगिक असमानताओं और गरीबी के नारीकरण को और खराब किया है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप संसाधनों पर महिलाओं का प्रभाव भी समाप्त हो गया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण हुआ है, और जब पुरुष और महिला दोनों शाहरी मलिन बस्तियों में समाप्त हो जाते हैं, तो महिलाओं को स्वच्छता की कमी और हिंसा में वृद्धि के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राचीन उपचारों, जड़ी-बूटियों और पौधों का ज्ञान खो गया है। नतीजतन, पुरुषों और लड़कों के लिए शक्ति और विशेषाधिकार और महिलाओं और लड़कियों के लिए निर्धारित कमजोरी और अधीनता पर केंद्रित रणनीति के बजाय, हमें विकास और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो परिवार से शुरू होता है और समानता, प्रेम और आदर करना। सुधार प्रक्रिया वर्तमान में अपरिवर्तनीय है। वैशिक अर्थव्यवस्था के तर्क के साथ-साथ भारत के हितों की मांग है कि भारत उदारीकरण के उपायों के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए। भारत को उदारीकरण इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा, यह अकेले देश को समृद्ध और समृद्ध बनाने के साथ-साथ देश को गरीबी पर काबू पाने की आशा देने की क्षमता रखता है। देसाई (1999) ने औपचारिक रूप से परिभाषित किया संक्रमण चरण की वास्तविकता, साथ ही साथ समाज के कमजोर वर्गों के परिणामों को नीति निर्माताओं द्वारा पहचाना जाना चाहिए, और कुछ सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित किए जाने चाहिए। कृषि सुधारों को लिंग को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान नीति पैकेज, जिसमें चयनित कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुछ खाद्य उत्पादों का अधिग्रहण, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न और कुछ आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान शामिल है, पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उत्पादन जोखिम कम करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा की अवधारणा किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। पीडीएस को गरीबों और गरीबी में रहने वालों को लक्षित करना चाहिए। किसानों, विशेष रूप से महिलाओं को, बेहतर सङ्करण और परिवहन, भंडारण, पैकिंग और कृषि प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए खरीद, भंडारण और वितरण के रूप में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप से बचना चाहिए। लक्ष्य दीर्घकालिक कृषि विकास होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दे। वैश्वीकरण के नकारात्मक वितरण संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए सुरक्षा जाल बनाना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण को आसान बनाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए। महिलाओं को भूमि अधिकारों का प्रावधान, साथ ही भेदभावपूर्ण विरासत कानूनों, श्रम बाजार नियमों और सामान्य संपत्ति के संरक्षण के उपायों में सुधार, लिंग सामाजिक कंडीशनिंग को बदलने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। टिकाऊ मानव विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में बुनियादी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक प्राथमिक रवारथ्य देखभाल, गंभीर कुपोषण का उन्मूलन और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति शामिल होनी चाहिए। महिलाओं के मुद्दों को खुले तौर पर संरचनात्मक समायोजन लक्ष्य, सामग्री, निगरानी और विदेशी समर्थन के अभिन्न पहलुओं के रूप में शामिल किया

जाना चाहिए। आर्थिक उत्पादन में महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं, जैसे कि घरेलू प्रबंधन, बच्चों का पालन-पोषण और सामुदायिक आयोजन, पर कृषि में उनके योगदान के अलावा विचार किया जाना चाहिए। मनुष्य को केवल वाद्य मूल्य ही नहीं, बल्कि निहित मूल्य के रूप में देखा जाना चाहिए। सम्मानजनक अस्तित्व का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। नतीजतन, समग्र दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब तक हम बालिकाओं, लैंगिक हिंसा और वैश्वीकरण के मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं, तब तक विकास और सशक्तिकरण अर्थहीन होगा।

## हितों के टकराव का खुलासा

लेखक पुष्टि करता है कि इस लेख की सामग्री में हितों का कोई टकराव नहीं है

### संदर्भ

एन्नेस, एफ।, 1980। परिवार में हिंसा: पत्नी की पिटाई, बॉम्बे, एसएनडीटी, महिला केंद्र।

आहूजा, आर., 1987. महिलाओं के खिलाफ अपराध, जयपुर, रावत प्रकाशन। जनगणना, 1981, 1991। भारत सरकार।

देसाई, एम., 1999। एक वैश्वीकृत दुनिया में भारत की आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद, नई दिल्ली।

डोलन, एम।, 1993। वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और कम विकसित देश। इन ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द थर्ड वर्ल्ड, (संस्करण) रॉबर्ट ओ स्लेटर, बैरी एम.शुट्ज और स्टीवन आर। डोर, लिन रेनर पब्लिशर्स इंक बोल्डर, कोलोराडो।

गिब्सन, ए।, 1994। किले या आसान सङ्क: वैश्वीकरण और विकासशील देशों पर उभरती व्यापार संरचनाओं का प्रभाव। नीलमेघम (एड), कॉम्पिटिंग ग्लोबली, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

इंडिया टुडे, 2003। शैफाली वासुदेव, लापता बालिका, नवंबर 10,19।

जिगिंग, जे।, 1986। लिंग—संबंधी प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय कृषि केंद्र का कार्य, सीजीआईएआर।

कबीर, एन., 1994. रिवर्सेड रियलिटीज, वर्सो, लंदन।

केलकर, जी., 1991. भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा— परिप्रेक्ष्य, और रणनीतियाँ। बैंकॉक, एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान।

महाजन, ए., 1990. पत्नी को पीटने के लिए उकसाने वाले. सषमा सूद (एड), महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जयपुर में। अरिहंत पब्लिशर्स।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988। महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित कोर ग्रुप की रिपोर्ट।

पांडे, आर., 2001। वैश्वीकरण की सामाजिक लागत: विश्व अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन, एशियाई महिला अध्ययन जर्नल, एशियाई महिलाओं पर किताक्यूशु फोरम, जापान, 10, 1-14।

पांडे, आर., 2004। द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, इन रिव्यू ऑफ वूमेन स्टडीज, 94(2), 943-983।

पांडे, आर।, 2008। हैदराबाद, भारत के पुराने शहर में महिला और बाल श्रमिक, चौराहे: एशिया और प्रशांत में लिंग और कामुकता, 17।

पांडे, आर., बिंदू, के.सी., मुमताज एफ. और नुजथ के., 2008. घरेलू हिंसा की कथाएँ, मर्दानगी और स्त्रीत्व का पुनर्निर्माण। सिंह, मंजीत और डी.पी. सिंह (एड), वायलेंस-इम्पैक्ट एड इंटरवेंशन, नई दिल्ली, अटलांटिक पब्लिशर्स एड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 121-140।

पांडे, आर., 2010. दक्षिण एशिया में जैंडर मुद्दे, भारत के विशेष संदर्भ के साथ, नई मिलेनियम में चुनौतियां। फैमिली इन डेवलपमेंट, होप्स एंड चौलेंजेस, (एड्स), साइमन पोलिंडर, एवर्ट जान ब्रौवर और हैंक

नारीवादी अनुसंधान, 1(1), 23–30, 2017. आर. पांडे 30

जोचेसन, जस्ट डेवलपमेंट सीरीज, प्रिज्मा, शेकर पब्लिशिंग, नीदरलैंड्स, 47–58।

पांडे, आर., 2013, भारत पर विशेष फोकस के साथ दक्षिण एशिया में सेक्स ट्रैफिकिंग, कल्पाज प्रकाशन, ज्ञान बुक्स, नई दिल्ली।

शेह्वार, आर.एम., 2015. भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर–जेबीएम), 17(4), 13–19।

श्रमशक्ति, 1988. अनौपचारिक क्षेत्र में स्वरोजगार महिलाओं और महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली।

स्टोलके, वी., 1993। टेरेसा डेल वैले (ईडी) में लिंग से लिंग क्या नस्ल के लिए दौड़ है: लिंग मानव विज्ञान, रूटलेज।

समानता की ओर, 1974. महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली।

यूएनडीपी, 1995. मानव विकास रिपोर्ट, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।